राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1415/2013/आबकारी/नागौर.

छज्जूराम पुत्र श्री निहाल सिंह, जाति कुम्हार,
ग्राम ढाणी मुहोहतपुर तह. अदमपुर, हिसार, हरियाणा. ......अपीलार्थी.

बनाम

1. राज. सरकार जरिये सचिव, आबकारी विभाग, जयपुर
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेन्द्र सिंह बराड व
श्री रोहित सोनी, अभिभाषकगण ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प0 29(बी)पीएस/वाहन/2011/190 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.07.2011 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वाहन स्वामी के वाहन संख्या एच.आर.39/बी–5129 का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त होना पाये जाने पर जब्त शराब की मात्रा को देखते हुए वाहन को आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिहरण योग्य पाये जाने पर विकल्प के रूप में जुर्माना राशि रूपये 7,50,000/– आरोपित की गयी थी एवं जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर वाहन को अधिहरित करने का आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 29.07.2011 को किया गया था।

3. उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका दायर की जाने पर उसे आदेश दिनांक 22.03.2013 से खारिज किया गया एवं अपीलार्थी को आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की पालना में माननीय राजस्थान कर बोर्ड में दिनांक 15.07.2013 को आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत अपील प्रस्तुत की गयी परन्तु अपील के साथ वांछित अनिवार्य राशि जमा नहीं कराई गई थी जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को समय–समय पर स्थगन भी दिये गये परन्तु लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में दिनांक 23.07.2015 को अपीलार्थी के अपील आवेदन को अदमहाज़िरी में खारिज कर दिया गया।

लगातार................2

4. दिनांक 23.07.2015 के माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश के विरूद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश दिनांक 26.10.2015 को किये गये एवं उस अनुसार पुनः सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

5. इस सम्बन्ध में सुनवाई दिनांक 23.01.2017 को अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए में अपील के साथ आरोपित राशि रूपये 7,50,000/– की 75 प्रतिशत राशि जमा होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अपील पर बल नहीं दिया गया।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी अधिनियम की धारा 9ए में अपील प्रस्तुत करने के पूर्व अनिवार्य राशि जमा नहीं करवाने के आधार पर अपील श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की मांग की।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. आयुक्त आबकारी विभाग द्वारा पारित आदेश में जुर्माना राशि रूपये 7.50 लाख के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से पूर्व जुर्माना राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा किया ज़ाना आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत अनिवार्य प्रावधान होने से इसके अभाव में अपील ग्रहण योग्य नहीं है। धारा 9ए के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

9A. Appeals & Revision - (1) An appeal shall lie -

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) to the Division bench of the Rajasthan Tax Board constituted under Sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal.

Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of payment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against.

10. चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपील से पूर्व बाध्यकारी राशि जमा नहीं करवाई गई है न ही आज दिनांक तक राशि जमा कराने का प्रमाण पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपील ग्रहणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

11. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष